प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

21 फरवरी 2025

तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – दिसंबर 2024

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस' पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर 'तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [1] का बकाया ऋण - दिसंबर 2024[2]' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग[3] के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों[4] और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

मुख्य बातें:

- बैंक ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) सितंबर 2024 में 12.6 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2024 में 11.8 प्रतिशत हो गई; सभी जनसंख्या समूहों (अर्थात, बैंकों की ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय शाखाएँ) ने दोहरे अंकों की संवृद्धि बनाए रखी, तथापि कुछ कमी के साथ, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की बैंकों में पाया गया।

- व्यक्तिगत ऋण, जिसका कुल ऋण में बड़ा हिस्सा (31.5 प्रतिशत) है, की वार्षिक संवृद्धि घटकर 13.7 प्रतिशत रह गई (एक तिमाही पहले 15.2 प्रतिशत); कृषि और उद्योग क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की संवृद्धि में भी कुछ कमी दर्ज की गई।

- 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान व्यापार, वित्त और पेशेवर/ अन्य सेवाओं के लिए बैंक ऋण में वृद्धि हुई।

- सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को ऋण दिसंबर 2024 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 0.3 प्रतिशत था; कुल ऋण में इसकी हिस्सेदारी 13.6 प्रतिशत रही।

---

[1] दिसंबर 2024 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत संकलित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक> भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किए गए थे और चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए दिसंबर 2024 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा भी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी> जारी आंकड़े >मासिक> बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन) पर जारी किया गया।

[2] बीएसआर-1 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। पिछले दौर से संबंधित तुलना के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से एक गैर-बैंक के एक बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

[3] इस शृंखला में जारी पिछले आंकड़े, जिसमें सितंबर 2024 के अंत की स्थिति को शामिल किया गया थे, 26 नवंबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

[4] बीएसआर के लिए उपयोग किया जाने वाला जनसंख्या समूह मानदंड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित राजस्व केंद्र की जनसंख्या के आकार पर आधारित है, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं और इन्हें ए) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), बी) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से 1 लाख से कम की आबादी), सी) 'शहरी' (1 लाख से 10 लाख से कम की आबादी), डी) 'मेट्रोपॉलिटन' (10 लाख और उससे अधिक की आबादी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- लगभग दो प्रतिशत बैंक ऋण खरीदे गए/ भुनाए गए बिलों के रूप में थे।
- बैंकों ने ऋण राशि के आधे से अधिक भाग पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत से कम ब्याज दर लगाई तथा लगभग 16 प्रतिशत ऋणों पर 8 प्रतिशत से कम ब्याज दर थी; शेष ऋणों पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज दर थी।

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2227